न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

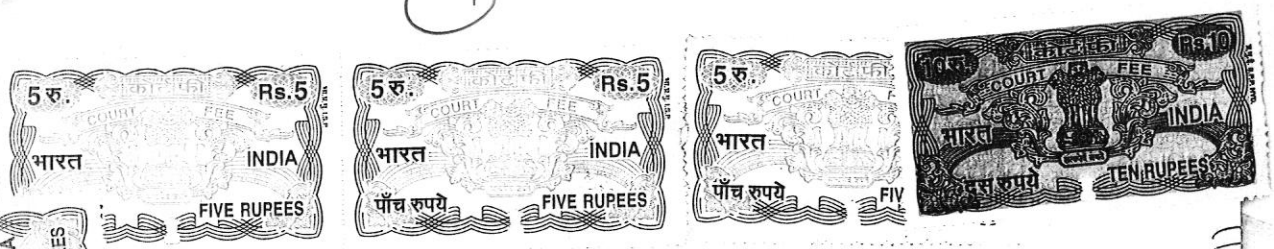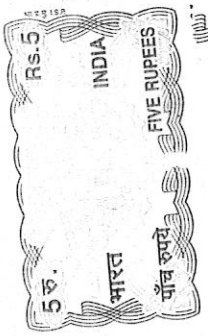

1. धीरज जैन तनय स्व0श्री संतोष जैन निवासी गांधी चौक चिकना मोहल्ला सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0
2. निखिल खण्डेलवाल तनय श्री विनोद कुमार खण्डेलवाल
3. श्रीमती श्वेता खण्डेलवाल पत्नी श्री निखिन खण्डेलवाल

दोनो निवासी वार्ड नंबर-7 आदर्श कालोनी सतना जिला सतना म0प्र0-----------------------------------**निगराकारगण**

बनाम

कृष्णकुमार खण्डेलवाल तनय स्व0चन्द्रभान खण्डेलवाल उम्र 58 वर्ष निवासी चौक बाजार सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना--**गैर निगराकार**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0
विरूद्ध आदेश कलेक्टर महोदय सतना के
अपील कमांक-29/अपील/16-17 में पारित
आदेश दिनांक 19.05.2017

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में निम्नलिखित आधार पर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर विनयी है :-

संक्षिप्त तथ्य

यह कि निगराकार कमांक-1 व 2 जो वैधानिक रूप से आराजी गैर निगराकार के अन्य हिस्सेदारो से जरिये रजि0विकय पत्र क्रय कर मौके पर कब्जा दखल प्राप्त किये जाने तथा अपने नाम नामान्तरण प्रमाणित

Conti----2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / सतना / भू0रा0 / 2017 / 1952

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-09-2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। दोनों अभिभाषकों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन किया। जिससे प्रकट होता है कि आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर सतना के अंतरिम आदेश दिनांक 19–5–2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की है जिसके द्वारा कलेक्टर ने अग्रिम आदेश तक स्थगन प्रदान किया जाकर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 52(2) के अनुसार – ''अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी, किसी भी समय, यह निर्देश दे सकेगा कि उस आदेश का जिसकी कि अपील की गई है या जिसके कि विरूद्ध पुनरीक्षण किया गया है, निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जितना कि वह ठीक समझेः परन्तु आदेश का निष्पादन, एक बार में, तीन मास से अधिक के लिए या अगली सुनवाई की तारीख तक, जो भी पूर्वतर हो, नहीं रोका जाएगा।'' स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा संहिता के प्रावधान के विपरीत अग्रिम आदेश तक स्थगन देने में त्रुटि की है इसलिए कलेक्टर का आदेश स्थगन आदेश अग्रिम आदेश तक स्थगित किये जाने के अंश तक निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ कलेक्टर सतना को वापस भेजा जाता है कि संहिता की धारा 52 के अनुसार अधिकतम तीन माह अर्थात 17–8–2017 तक स्थगन प्रदान किया जाये। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना को वापस भेजा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	